

विदेशी खाता कर अनुपालना एक्ट (एफएटीसीए)

विदेशी खाता कर अनुपालना एक्ट (एफएटीसीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार यू.एस व्यक्ति की कारोबारी इंकार्डियां व अन्य लीगल इंकार्डियों सहित एनआरआई/पीआईओ को हमारे पास रखे खाते या नई रिलेशनशिप स्थापित करने हेतु निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा :-

- पासपोर्ट नं०,
- सिटीजनशिप का देश/निवास स्थान ,
- टैक्स पहचान सं०,
- सम्पर्क ब्यौरा,
- पूरा पता,
- टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आईडी इत्यादि